पत्रिका

हाईकोर्ट: जनहित याचिका पर सुनवाई

सरकार 3 महीने में मराठी को भाषिक अल्पसंख्यक दर्जा दें

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में मराठी भाषा को 'भाषिक अल्पसंख्यक' का दर्जा देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला माना और सीधे दखल से इंकार करते हुए याचिका निराकृत कर दी। बिलासपुर निवासी डॉ. सचिन अशोक काले ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी मराठी भाषा को भाषिक अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नीतिगत मामलों में वह सीधे हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि कोई नागरिक संविधान के तहत अधिकार मांगता है, तो उस पर सरकार को प्रतिक्रिया देनी होगी। याचिका में बताया गया कि डॉ काले ने 22 अप्रैल 2023 और 27 नवंबर 2024 को राज य सरकार के संबंधित विभागों को इस विषय में आवेदन देकर मांग रखी थी।

संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आदेश की प्रमाणित प्रति दो सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी को सौंपे और वकील को आदेश की जानकारी संबंधित विभाग को देनी होगी। राज्य सरकार के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि निजी स्वार्थ से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि मराठी एक प्रमुख भाषा है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है, इसलिए इसे लघु भाषिक अल्पसंख्यक घोषित करने की जरूरत नहीं है।

10/07/2025 | Raipur City | Page : 5
Source : https://epaper.patrika.com/